सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 20/15

निर्णय दिनांक :– 20–08–2019

1. पवन कुमार पुत्र विमल कुमार सेठिया जाति सेठिया निवासी मालियों का मोहल्ला, जैन मंदिर के पास, भीनासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. जीवणलाल पुत्र स्व. देवाराम जाति मेघवाल निवासी रथखाना कॉलोनी, बीकानेर।
2. भंवराराम
3. तिलाराम — पुत्रगण स्व. अमोलखराम जाति बेलदार निवासी
4. लिछमणराम — कोटड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20–08–2015
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राकेश रंगा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 20–08–2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 178 तादादी 7.5 हेक्टर भूमि में से 3/5 हिस्सा भूमि शरह किशनायत तहसील कोलायत अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 से खरीद की गई थी। चूंकि वे अपने हिस्से की भूमि अपीलांट को विक्रय कर चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के हक व हकूक वादग्रस्त भूमि पर शामिल हो चुके है। लिहाजा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। अपीलांट का विक्रय पत्र दिनांक 19–07–2010 का होने पर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जानबूझ कर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है। आदेश जैर अपील अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–02–2007 को आरजी तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा दिनांक 20–08–15 को आदेश जैर अपील के माध्यम से उक्त आदेश को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जवाब हेतु जैरकार थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विपरीत जाकर लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जहॉ दोनों पक्षकारों की आपस में सहमति हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना के विपरीत मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट्स द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि खरीद की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्तकार है। अपीलांट्स का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर बार–बार कब्जा करने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तंग व परेशान किये जाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के दावे के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथस्थिति कायम रखने के आदेश प्रसारित किये गये है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के खरीददार है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् हक व हकूकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। दौराने वाद यदि अपीलांट द्वारा मौके की स्थिति में परिवर्तन किया गया तो रेस्पोडेन्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। चूंकि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट वादगत् भूमि पर एक खरीददार की हैसियत रखते है। अपीलांट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि की तरमीम गलत तरीके से होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा की दरखवाश्त पेश की। न्यायालय द्वारा दरखवाश्त में दर्शाये गये स्थान के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति की एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 21–02–2007 को जारी की गई थी। निषेधाज्ञा प्रभाव में रहने के दौरान ही अपीलांट ने विवादित भूमि का कय कर लिया। जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने तथा निषेधाज्ञा प्रभाव में रहते हुए भूमि का अन्तरण विधि विरूद्व था। अस्थाई निषेधाज्ञा की दरखवाश्त पेश होने की तिथि को अपीलांट केता एवं प्रभावित पक्षकार ही नहीं था ऐसी स्थिति में तलबी न करना, जवाब का मौका नहीं देना तथा निषेधाज्ञा के लिये तीनों आवश्यक शर्तो का विवेचन करना आवश्यक नहीं था। एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की तिथि को अपीलांट रिकार्डेड टीनेन्ट नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड के आधार पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की भूल होना नहीं पाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी; कोलायत का आदेश दिनांक 20–08–2015 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 20–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner